बिहार विधान सभा सचिवालय
सार्वजनिक नीलामी की सूचना
NIT NO:- 10 /2026

बिहार विधान सभा सचिवालय की निष्प्रयोजित निम्नलिखित 8 पुरानी गाड़ियों की सार्वजनिक नीलामी "जहां है, जैसे है के आधार पर" दिनांक–12.11.2026 को 10:00 बजे पूर्वा0 में सभा सचिवालय स्थित मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित वाचनालय में होगी:–

क्रम	वाहन संख्या–	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	न्यूनतम मूल्य
1	BR-01PH-7638	स्कॉर्पियो	2017	350000/–
2	BR-01PH-7640	स्कॉर्पियो	2017	350000/–
3	BR-01PH-8034	स्कॉर्पियो	2017	350000/–
4	BR-01PJ-0487	स्कॉर्पियो	2017	350000/–
5	BR-01PJ-0488	स्कॉर्पियो	2017	350000/–
6	BR-01PJ-0489	स्कॉर्पियो	2017	350000/–
7	BR-01PG-3250	इनोवा	2015	360000/–
8	BR-01PH-8929	इनोवा क्रिष्टा	2017	450000/–

1. उक्त गाड़ियों के लिए जमानत राशि/अर्नेस्ट मनी के रूप में प्रति गाड़ी के न्युनतम मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा क्रमांक 1 से 6 तक की गाड़ियों के लिए 70,000 /–रू0, क्रमांक–7 की गाड़ी के लिए 72,000/–रू0 तथा क्रमांक 8 के लिए 90,000/–रू0 डिमांड ड्राफ्ट अथवा कैश के रूप में लिया जाएगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी बिहार विधान सभा के पार्किंग में गाड़ियों का भौतिक निरीक्षण तथा जमानत राशि/अर्नेस्ट मनी डी0डी0ओ0, बिहार विधान सभा कार्यालय में दिनांक–02.11.2026 से 06.11.2026 को 05:00 बजे अपराह्न तक जमा कर सकते है।

3. जमानत राशि/अर्नेस्ट मनी जमा करने से पहले वाहन शाखा से टोकन प्राप्त करना होगा उसके पश्चात डी0डी0ओ0, बिहार विधान सभा के पास डिमांड ड्राफ्ट अथवा कैश, अधार की छायाप्रति के साथ जमा करना होगा।
4. बैंक का डिमांड ड्राफ्ट डी0डी0ओ0, बिहार विधान सभा के पदनाम से भुगतेय होगा।
5. प्रत्येक गाड़ी की नीलामी की प्रक्रिया अलग–अलग की जाएगी।
6. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को गाड़ी की नीलामी दी जाएगी।
6. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति/एजेंसी को तत्क्षण बोली की 25 प्रतिशत(अर्नेस्ट मनी को मिलाकर) राशि उसी दिन जमा करनी होगी।
7. शेष व्यक्तियों को जमानत की राशि/अर्नेस्ट मनी नीलामी समाप्त होने के उपरांत वापस कर दी जाएगी।
8. नीलामी की बोली के समय किसी व्यक्ति को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

9. बोली की डिफरेंस राशि कम से कम 2000/–रू0 का होगी।
10. नीलामी की बोली कार्यालय से प्राप्त टोकन के अनुसार कमवार ही होगा।
11. नीलामी के संबंध में कोई भी जानकारी कार्यालय के कार्य दिवस(09:30 बजे पूर्वा0 से 06:00 बजे अपराह्न) में बिहार विधान सभा अवर सचिव के दूरभाष संख्या–9473493262 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है तथा गाड़ियों का भौतिक रूप से अवलोकन भी किया जा सकता है।

अन्य शर्तें:–

1. नीलामी के पश्चात् 7 दिनों के अंदर अधिकतम डाक मूल्य की शेष राशि जमा कर गाड़ी को बिहार विधान सभा परिसर से उठाव कर लेना पड़ेगा।
2. अधिकतम डाक मूल्य बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी, डाक मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा बोली की कुल राशि नियत समय तक सभा सचिवालय में जमा नहीं करते हैं अथवा समय सीमा के अंदर शेष 75 प्रतिशत राशि जमा कर नीलाम की गई गाड़ियों का उठाव नहीं करते हैं तब वैसी स्थिति में दूसरे उच्चतर डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को स्वतः मान्य होगी, साथ ही अग्रधन की राशि उन्हें वापस नहीं की जाएगी।

3. सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर, जो भारत के नागरिक हैं, नीलामी में भाग ले सकते हैं।

4 बिना कारण बताए नीलामी समिति किसी भी समय अथवा किसी भी गाड़ी का नीलामी रद्द कर सकती है।

(संजय कुमार चौधरी)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।